



संख्या- 1/23 / जी०ए०सी०(शिक्षा) / A3-5 / 2023

प्रेषक,

रविनाथ रामन

सचिव श्री राज्यपाल/कुलाधिपति।

सेवा में,

कुलपति,

कुमाऊँ विश्वविद्यालय,

नैनीताल।

02 जनवरी, 2024

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड :

देहरादून : दिनांक : दिसम्बर, 2023

महोदय,

कृपया एफीलियेशन पोर्टल पर आवेदन आई०डी० संख्या-230622111328 के माध्यम से इस सचिवालय को प्रेषित निम्नवत् उल्लिखित प्रस्ताव का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलपति व कुलसचिव, कुमाऊँ विश्वविद्यालय की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (यथाप्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37(2) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख अंकित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा० कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :-

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
देवभूमि इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन, कच्ची खमरिया, लालपुर, रुद्रपुर, ऊधमसिंह नगर।	बी०एड०	100	2023-24

(1) निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद्, यू०जी०सी० विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्यवाही की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ 02 माह के भीतर उपलब्ध करायें।

(2) विश्वविद्यालय संस्थान से सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित विधिक दायित्व व वार्षिक बैलेंस सीट के सम्बन्ध में साक्ष्य सहित 01 माह के भीतर इस सचिवालय को उपलब्ध करायेगा साथ ही अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्तावों में भी इन तथ्यों का उल्लेख किया जाए।

(3) अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव यू०जी०सी० विनियम/नियामक संस्थान एवं शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार किये जायेंगे अन्यथा की स्थिति में अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जायेगा।

भवदीय,

Signed by Ravinath Raman

Date: 02-01-2024 13:19:42